

फॉर्म - ब
[देखिये नियम 9 (3), (4) और (6)]
कार्यालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

क्रमांक : एफ. 12(3)()राज/2020/2545

दिनांक : 06/04/2021

—: संपरिवर्तन आदेश :-

प्रार्थी डॉ. वासुदेव चावला पुत्र नथुराम चावला जाति खटीक निवासी भवानी नगर खटीको का मौहल्ला, चुरु तहसील चुरु जिला चुरु (राजस्थान) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

1. आवेदक खातेदारान अभिधारी का नाम, पिता/पति का नाम सहित पूर्ण पता
डॉ. वासुदेव चावला पुत्र नथुराम चावला जाति खटीक निवासी भवानी नगर खटीको का मौहल्ला, चुरु तहसील चुरु जिला चुरु (राजस्थान)
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित नहीं
जन जाति का सदस्य है
3. संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा :-
(क) ग्राम /ग्राम पंचायत/ तहसील का नाम ग्राम - निम्बला तहसील शिव
(ख) भूमि का खसरा और प्रत्येक खसरा का क्षेत्रफल (बीघा/हैक्टर/वर्गमीटर में) खसरा नम्बर 822/506 रकबा 2-05 बीघा समर्पण पश्चात रकबा 1-00 बीघा में से रकबा 1225 वर्ग मीटर किस्म बारानी सोयम
(ग) प्रत्येक खसरा के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टर/वर्ग मीटर में) खसरा नम्बर 822/506 रकबा 2-05 बीघा समर्पण पश्चात रकबा 1-00 बीघा में से रकबा 1225 वर्ग मीटर किस्म बारानी सोयम
टिप्पणी- अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शों के सुसंगत भाग की सम्यक् रूप से प्रमाणित प्रति संलग्न है।
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन वाणिज्यिक (पेट्रोल 'पम्प') प्रयोजनार्थ
5. संदेय संपरिवर्तन प्रभारों की दर 10.00/-रुपये प्रति वर्गमीटर (DLC दर - निर्धारित दर व कय दस्तावेज का 10% से अधिकतम होने से)
6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रिमियम की रकम GRN No. 46433161/13-01-21 = Rs. 12,300/-
E-Grass TC Chalan No.6397594/13-01-2021
7. चालान की संख्या और तारीख सहित शास्ति, यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम नहीं
8. चालान की संख्या और तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम शून्य
9. क्या आदेश विनियमितीकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है नहीं
10. अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हों नहीं
11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-
(i) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग, विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

- (ii) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रिमियम धन समपहृत हो जायेगा।
- (iii) नियम -4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
- (iv) वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। आवेदक केवल आवेदित क्षेत्र में वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) गतिविधियां संचालित कर सकेगा।
- (v) आवेदक को रूपान्तरित भूमि से पेड इस शर्त पर हटाने की अनुमति है कि वह हटाये गए पेडों के तीन गुणा सघन या छायादार वृक्ष एक वर्ष के भीतर लगाएगा। यदि ऐसा करने में विफल रहता है तो उसे प्रति वर्ष 500 रूपयें राजस्व खाते में पेनल्टी के रूप में वसूले जायेंगे, जब तक पौधा लगकर तैयार नहीं हो जाता, संबंधित पालना सुनिश्चित करें।
- (vi) संपरिवर्तित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 बाड़मेर-जैसलमेर सड़क पर अवस्थित है। परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बाड़मेर द्वारा जारी अनापति प्रमाण पत्र संख्या 6969 दिनांक 17.02.2021 अनुसार सड़क मध्य भाग से 40 मीटर भूमि छोड़कर संपरिवर्तन किया जाता है। वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ का निर्माण राष्ट्रीय सड़क कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार निर्धारित सड़क सीमा के पश्चात किया जाएगा, भविष्य में सड़क की चौड़ाई बढ़ाये जाने के दौरान यदि सड़क सीमा में कोई निर्माण पाया जाता है तो उसे आवेदक को अपने खर्च से हटाना होगा तथा आवेदक द्वारा मुआवजा हेतु कोई क्लेम नहीं किया जावेगा। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों/आदेशों की पालना हेतु आवेदक बाध्य होगा। प्रार्थी को पेट्रोल पम्प निर्माण से पूर्व संबंधित विभाग से सड़क से एप्रोच हेतु NOC प्राप्त करनी होगी, जिसके लिए आवेदक बाध्य होगा।
- (vii) भविष्य में संपरिवर्तन शुल्क के संबंध में किसी ऑडिट द्वारा कोई राजस्व वसूली निकाली जाती है तो, उसका भुगतान करने के लिए आवेदक उत्तरदायी होगा एवं उक्त आदेश से पाबन्द होगा।
- (viii) राज्य सरकार द्वारा राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 एवं समय-समय पर इस संबंध में जारी निर्देशों/आदेशों की पालना हेतु आवेदक बाध्य होगा।
- (ix) उक्त भूमि के बिल्डिंग प्लान अनुमोदन के लिए राजस्व विभाग जयपुर की संशोधित अधिसूचना एफ. 6(26)राज-6/2014/33 दिनांक 06.10.2016 के नियम 19-बी. की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जानी होगी। पेट्रोल पम्प के LOI Holders भूमि संपरिवर्तन पश्चात explosive Department द्वारा NOC/License प्रदान करने की शर्त पर निर्माण विस्फोटक विभाग द्वारा निर्धारित मानक अनुसार करेंगे।
- (x) उपर्युक्त सभी शर्तों की पालना करने हेतु आवेदक बाध्य होगा। किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, शपथ पत्र में अंकित किसी भी तथ्य के गलत पाये जाने पर बिना सुनवाई आदेश निरस्त किया जा सकेगा, जिसके लिए आवेदक व्यक्तिगत रूप से स्वयं जिम्मेवार होगा।

(विप्राम/सीणा)

जिला कलक्टर, बाड़मेर

दिनांक : 06/04/2021

क्रमांक : एफ. 12(3)()राज/2020/2546-52

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा शाखा/न्यायिक शाखा, जिला कार्यालय, बाड़मेर।
2. उपखण्ड अधिकारी शिव।
3. तहसीलदार शिव को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग (कर अनुभाग) की अधिसूचना दिनांक 08.03.2016 के परिप्रेक्ष्य में महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज. अजमेर के पत्रांक एफ. 7(171)विधि/रिट/16/9211-9743 दिनांक 04.10.2019 से प्रदत्त निर्देशानुसार नियमानुसार पंजीयन कर संपरिवर्तित भूमि का शर्तों के अध्यक्षीन राजस्व अभिलेख में अंकन किया जाना सुनिश्चित करें।
4. उप पंजीयक शिव।
5. पटवारी निम्बला तहसील शिव।
6. आवेदक डॉ. वासुदेव चावला पुत्र नथुराम चावला जाति खटीक निवासी भवानी नगर खटीको का मौहल्ला, चुरु तहसील चुरु जिला चुरु (राजस्थान)
- 7- रक्षित पत्रावली।

(ओम प्रकाश विश्णोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर